प्राक्कथन

यह 1 मार्च, 1971 को यथा विद्यमान बीज अधिनियम, 1966 का द्विभाषीय संस्करण है । इसमें अधिनियम का प्राधिकृत हिन्दी पाठ, उसके अंग्रेजी पाठ सहित, दिया गया है । अधिनियम का हिन्दी पाठ तारीख 4 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र, असाधरण, भाग 2, अनुभाग 1 क, संख्या 25, खण्ड अ में पृष्ठ 169 से 181 में प्रकाशित हुआ था ।

इस हिन्दी पाठ को राजभाषा (विधायी) आयोग ने तैयार किया था और यह राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 (1) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हुआ और इस प्रकार प्रकाशित होने पर, उस अधिनियम का अब यह हिन्दी में प्राधिकृत पाठ है ।

नई दिल्ली
01 मार्च, 1971

एन.डी.पी. नम्बूदरीपाद
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

बीज अधिनियम, 1966
धाराओं का कम

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।
3. केन्द्रीय बीज समिति ।
4. केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला और राज्य बीज प्रयोगशाला ।
5. बीजों की किस्मों या उपकिस्मों को अधिसूचित करने की शक्ति ।
6. अंकुरण और शुद्वता आदि की न्यूनतम सीमाएं विनिर्दिष्ट करने की शक्ति ।
7. अधिसूचित किस्मों या उपकिस्मों के बीजों के विकय का विनियमन ।
8. प्रमाणन अभिकरण ।
9. प्रमाणन अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र का अनुदान ।
10. प्रमाण पत्र का प्रतिसंहरण ।
11. अपील ।
12. बीज विश्लेषक ।
13. बीज निरीक्षण ।
14. बीज निरीक्षक की शक्तियॉ ।
15. बीज निरीक्षकों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रकिया ।
16. बीज विश्लेषक की रिपोर्ट ।
17. अधिसूचित किस्मों या उपकिस्मों के बीजों के निर्यात और आयात पर निबंन्धन ।
18. विदेशों के बीज प्रमाणन अभिकरणों को मान्यता ।
19. शास्ति ।
20. सम्पति का समपहरण ।
21. कम्पनियों द्वारा अपराध ।
22. निर्देश देने की शक्ति ।
23. छूट ।
24. नियम बनाने की शक्ति ।

बीज अधिनियम, 1966

(1966, का अधिनियम सं. 54)

(29 दिसम्बर, 1966)

कुछ विकयार्थ बीजों की क्वालिटी के विनियमन और तत्संसक्त बातों के लिये उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्रहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1– संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1.) यह अधिनियम बीज अधिनियम, 1966 कहा जा सकेगा ।

(2.) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3.) यह उस तारीख को प्रवृत होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये तथा विभिन्न राज्यों के लिये या उनके विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी ।

2– परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(1.) ''कृषि'' के अन्तर्गत उद्यान कृषि आती है ।

(2.) ''केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला'' से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या इस रूप में घोषित केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला अभिप्रेरित है ।

(3.) ''प्रमाणन अभिकरण'' से धारा 8 के अधीन स्थापित या धारा 18 के अधीन मान्यता प्राप्त प्रमाणन अभिकरण अभिप्रेत है ।

(4.) ''समिति'' से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय बीज समिति अभिप्रेत है ।

(5.) ''आधान'' से कोई बक्स, बोतल, संन्दूकची, टिन, पीपा, डिब्बा, पात्र, बोरी, थैला, आवेष्टन या अन्य वस्तु, जिसमें कोई चीज या वस्तु रखी जाती है या पैक की जाती है, अभिप्रेत है ।

(6.) '' निर्यात'' से भारत में से भारत के बाहर के स्थान को ले जाना अभिप्रेत है ।

(7.) ''आयात'' से भारत के बाहर के स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है ।

(8.) ''किस्म'' से फसल के पौधों की एक या अधिक सम्बद्ध जातियां या उपजातियां अभिप्रेत है, जिनमें हर एक अलग–अलग या संयुक्त रूप से एक सामान्य नाम से जानी जाती है जैसे बन्दगोभी, मक्का, धान और गेंहू ।

(9.) किसी बीज के संबंध में ''अधिसूचित किस्म या उपकिस्म'' से उसकी धारा 5 के अधीन अधिसूचित किस्म या उपकिस्म अभिप्रेत है ।

(10.) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(11.) ''बीज'' से बोने या रोपण करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बीजों के निम्नलिखित वर्गो में से कोई अभिप्रेत है ।

(I) खाद्य फसलों के बीज, जिनके अन्तर्गत भक्ष्य तिलहन और फलों तथा शाकों के बीज आते है।

(II) बिनौला ।

(III) पशुओं के चारे के बीज

और इसके अन्तर्गत खाद्य फसलों या पशुओं के चारे की पौध और कंद, शल्क कंद, प्रकंद, जडे, कलमें, सब प्रकार के उपरोप और कायिक रूप से प्रवर्धित अन्य पदार्थ आते है ।

(IV) जूट के बीज

(12.) ''बीज विश्लेषक'' से धारा 12 के अधीन नियुक्त बीज विश्लेषक अभिप्रेत है ।

(13.) ''बीज निरीक्षक'' से धारा 13 के अधीन नियुक्त बीज निरीक्षक अभिप्रेत है ।

(14.) संध राज्य क्षेत्र के संबंध में ''राज्य सराकार'' से उस राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ।

(15.) किसी राज्य के संबंध में ''राज्य बीज प्रयोगशाला'' से उस राज्य के लिये धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित या इस रूप में घोषित राज्य बीज प्रयोगशाला अभिप्रेत है तथा

(16.) ''उपकिस्म'' से किस्म का ऐसा उपविभाजन अभिप्रेत है जो वृद्वि, उपज, पौधे, फल, बीज या अन्य लक्षण से पहचाना जा सकता है।

3– केन्द्रीय बीज समिति–

(1). इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, केन्द्रीय सरकार, स्वयं उसे और राज्य सरकारों को इस अधिनियम के प्रशासन से उद्‌भूत होने वाली बातों पर सलाह देने के लिये और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे सौंपे गए अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए केन्द्रीय बीज समिति कही जाने वाली एक समिति गठित करेगी ।

(2) समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात–

(I) एक सभापति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

(II) आठ व्यक्ति, जो ऐसे हितों का, जिन्हें केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, और जिनमें से दो से अन्यून व्यक्ति बीज उगाने वालों के प्रतिनिधी होगे ।

(III) राज्यों में से हर एक के द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक एक व्यक्ति

(3) समिति के सदस्य, जब तक उनके स्थान पद त्याग या मृत्यु के कारण या अन्यथा पहले ही रिक्त न हो जाए, दो वर्ष के लिए पद धारण करने के हकदार होंगें और पुनः नामनिर्दिष्ट होने के पात्र होंगें ।

(4) समिति, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के अध्ययीन रहते हुए, उपविधियां बना सकेगी, जिनसे गणपूर्ती नियत हो तथा स्वयं उसकी प्रक्रिया और उसके द्वारा संव्यवहृत किए जाने वाले सब कारबार का संचालन विनियमित हो ।

(5) समिति, चाहे तो पूर्णतया समिति के सदस्यों से, चाहे पूर्णतया अन्य व्यक्तियों से, चाहे भागतः समिति के सदस्यों से और भागतः अन्य व्यक्तियों से, जैसा वह ठीक समझें, मिलकर बनने वाली एक या अधिक उपसमितियां, समिति के कृत्यों में से ऐसे कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ, जो उस उपसमिति या उन उपसमितियों को समिति द्वारा प्रत्यायोजित किए जांए नियुक्त कर सकेगी ।

(6) समिति के या उसकी किसी उपसमिति के कृत्य उसमें कोई रिक्ति होते हुए भी, किए जा सकेंगें ।

(7) केन्द्रीय सरकार एक व्यक्ति को समिति का सचिव नियुक्त करेगी और समिति के लिए ऐसे लिपिकीय तथा अन्य कर्मचारी वृन्द का उपबन्ध करेगी जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे ।

(4) केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला और राज्य बीज प्रयोगशाला

(1) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला को इस अधिनियम या उसके अधीन व्यक्त किए गए कृत्यों के पालन के लिए एक केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला स्थापित कर सकेगी या किसी बीज प्रयोगशाला को केन्द्रीय प्रयोगशाला घोषित कर सकेगी ।

(2) राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक राज्य बीज प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेगी या किसी बीज प्रयोगशाला को राज्य बीज प्रयोगशाला घोषित कर सकेगी, जहां किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीजों को चिंन्हित रीति से विश्लेषण इस अधिनियम के अधीन बीज विश्लेषकों द्वारा किया जाएगा ।

(5) बीजों की किस्मों या उपकिस्मों को अधिसूचित करने की शक्तिः–

यदि समिति से परामर्श के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि कृषि के प्रयोजनार्थ बेचे जाने वाले बीज को किसी किस्म या उपकिस्म की क्वालिटी का विनियमन करना आवश्यक या समीचीन है तो वह ऐसी किस्म की उपकिस्म को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचित किस्म या उपकिस्म, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी और विभिन्न राज्यों के लिए या उसके विभिन्न भागों के लिए विभिन्न किस्में या उपकिस्में घोषित की जा सकेगी ।

(6) अंकुरण और शुद्वता आदि की न्यूनतम सीमाएं, विनिर्दिष्ट करने की शक्ति

केन्द्रीय सरकार, समिति से परामर्श के पश्चात् और शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कर सकेगी :–

(क) किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बारे में अंकुरण और शुद्वता की न्यूनतम सीमाएं ।

(ख) वह चिन्ह या लेबल जिससे यह प्रतीत हो कि यह बीज अंकुरण और शुद्वता के खण्ड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमाओं के अनुरूप है और वे विशिष्टियां जो ऐसे चिन्ह या लेबल में अन्तर्विष्ट हो ।

(7) अधिसूचित किस्मों या उपकिस्मों के बीजों के विक्रय का विनियमन

कोई व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीज को बेचने, विक्रय के लिए रखने, बेचने की प्रस्थापना करने, उसका वस्तु–विनिमय करने या अन्यथा संदाय करने का कारबार तब के सिवाय नहीं चलाएगा जबकि......

(क) उस बीज की किस्म या उपकिस्म के बारे में पहचान हो सके ।

(ख) वह बीज धारा 6 के खण्ड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट अंकुरण और शुद्वता की न्यूनतम सीमाओं के अनुरूप हो ।

(ग) धारा 6 के खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट उसकी ठीक विशिष्टियों से युक्त चिन्ह या लेबल विहित रूप से उस बीज के आधान पर लगा हो, तथा

(घ) वह अन्य ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करे जो विहित की जाएं ।

(8) प्रमाणन अधिकरण

राज्य सरकार या उसके परामर्श से केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रमाणन अभिकरण को न्यस्त कृत्यों के पालन के लिए एक प्रमाणन अभिकरण, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्थापित कर सकेगी ।

1972 के अधिनियम संख्या 55 की धारा 3 द्वारा (16–1–1973) से अतः स्थापित ।

8 क केन्द्रीय बीज प्रमाणन बोर्ड :–

1. केन्द्रीय सरकार प्रमाणन से संबंधित सब मामलों पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारो को सलाह देने के लिए तथा धारा 8 के अधीन स्थापित अभिकरणों के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए एक केन्द्रीय बीज प्रमाणन बोर्ड की (जिसे इसमें इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है) राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्थापना करेगी ।

2. बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :–

(I) अध्यक्ष जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा,

(II) चार सदस्य जो कृषि निदेशकों के रूप में राज्य सरकारों द्वारा नियोजित व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएगें,

(III) तीन सदस्य जो कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसंधान निदेशकों के रूप में नियोजित व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएगें,

(IV) तेरह व्यक्ति जो ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जिन्हें केन्द्रीय सरकार उचित समझे, केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएगें, जिनमें कम से कम चार व्यक्ति बीज उत्पादकों या व्यापारियों के प्रतिनिधि होगें ।

3. बोर्ड का सदस्य, जब तक उसका स्थान त्याग–पत्र देने से या अन्यथा पहले ही रिक्त न हो जाए, अपने नाम निर्देशन की तारीख से दो वर्ष के लिए पद धारण करने का हकदार होगा ।

परन्तु उपधारा (2) के खण्ड (II) या खण्ड (III) के अधीन नामनिर्दिष्ट व्यक्ति केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक वह उस नियोजन को धारण करता है जिसके आधार पर उसका नामनिर्देशन किया गया था ।

8 ख अन्य समितियां

बोर्ड ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिये जो बोर्ड द्वारा ऐसी शर्तो के अधीन, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित किए जाएं उतनी समितियों की नियुक्ति कर सकता है जितनी वह उचित समझे और जिनमें केवल बोर्ड के सदस्य होगें या केवल अन्य व्यक्ति होगें या भागतः बोर्ड के सदस्य और भागतः अन्य व्यक्ति होगें, जैसा वह उचित समझे ।

8 ग बोर्ड या समिति की कार्यवाहियों का, उसमें किसी रिक्ति के कारण अवधि मान्य न होना

बोर्ड या उसकी कोई समिति की कोई कार्यवाही उसमें किसी रिक्ति के कारण या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण ही अवधिमान्य न होगी ।

8 घ बोर्ड के लिये प्रकिया

बोर्ड अपनी प्रकिया और अपनी किसी समिति की प्रकिया को तथा अपने द्वारा ऐसी समिति द्वारा किए जाने वाले समस्त कामकाज के संचालन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से उपविधियां बना सकता है।

8 ड़ सचिव तथा अन्य अधिकारी – केन्द्रीय सरकार

(1) एक व्यक्ति को बोर्ड का सदस्य नियुक्त करेगी, और

(II) बोर्ड के लिए ऐसे तकनीकी और अन्य कर्मचारीवृन्द की व्यवस्था करेगी जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे ।

9 प्रमाणन अभिकरण द्वारा प्रमाणपत्र का अनुदान

(1) यदि कोई व्यक्ति जो किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म का बीज बेचे, बेचने की प्रस्थापना करे, उसका वस्तु–विनिमय करें या अन्यथा संदाय करें, उस बीज को प्रमाणन अभिकरण द्वारा प्रमाणित कराने की वांछा करे, तो वह प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र के लिए प्रमाणन अभिकरण से आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन हर आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जायेगा, उसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगी और उसके साथ में ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएं ।

(3) प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए ऐसे किसी आवेदन के प्राप्त होने पर प्रमाणन अभिकरण, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह ठीक समझे, और अपना इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि वह बीज जिसके संबंध में आवेदन है उस बीज के लिए धारा 6 के अधीन विनिर्दिष्ट अंकुरण और शुद्वता की न्यूनतम सीमाओं के अनुरूप है, एक प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसी शर्तों पर अनुदत्त कर सकेगा जो विहित की जाएं ।

10 प्रमाण पत्र का प्रति संहरण

यदि प्रमाणन अभिकरण का , उससे इस निमित्त निर्देश किए जाने पर या अन्यथा, इस बात का समाधान हो जाए कि –

(क) धारा 9 के अधीन उसके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र किसी आवश्यक तथ्य के बारे में दव्यंपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है अथवा

(ख) प्रमाण का धारक उन शर्तो के अनुपालन में, जिनके अध्यधीन कि प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, युक्तियुक्त हेतुक के बिना असफल रहा है या उसने इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में से किसी का उल्लघन किया है ।

तो किसी ऐसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसका कि प्रमाणपत्र का धारक इस अधिनियम के अधीन दायी हो, प्रमाणन अभिकरण प्रमाणपत्र के धारक को हेतुक दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् प्रमाणपत्र को प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

11 अपील

1. कोई व्यक्ति, जो प्रमाणन अभिकरण के धारा 9 या धारा 10 के अधीन के विनिश्चय से व्यथित हो, उस तारीख से तीस दिन के भीतर, जब उसे वह विनिश्चय से

संसूचित किया जाए, और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए। परन्तु यदि अपील प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि समय के भीतर अपील फाइल करने में अपीलार्थी पर्याप्त हेतुक से निवारित हुआ तो वह तीस दिन की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

2. उपधारा (1) के अधीन अपील प्राप्त होने पर अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील यथासम्भव शीघ्रता के साथ निपटाएगा।
3. अपील प्राधिकारी का इस धारा के अधीन हर आदेश अन्तिम होगा ।

12 बीज विश्लेषक

शासकीय राजपत्र में अधिसूचना, द्वारा राज्य सरकार विहित अर्हताएं रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, बीज विश्लेषक नियुक्त कर सकेगी और वे क्षेत्र परिभाषित कर सकेगी जिनमें वे अधिकारिता का प्रयोग करेंगें ।

13 बीज निरीक्षक

1. शासकीय राजपत्र में अधिसूचना, द्वारा राज्य सरकार विहित अर्हताएं रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, बीज निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी और वे क्षेत्र परिभाषित कर सकेगी जिनमें वे अधिकारिता का प्रयोग करेंगें ।
2. हर बीज निरीक्षक भारतीय दण्ड संहिता 1860 का 45 की धारा 21 के अर्थ के अन्दर लोक सेवक समझा जाएगा और शासकीय रूप में ऐसे अधिकारी के अधीनस्थ होगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्व विनिर्दिष्ट करे ।

14 बीज निरीक्षक की शक्तियां

(1) बीज निरीक्षक

(क) निम्नलिखित में किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीज के नमूने ले सकेगा :–

(I) ऐसे बीज को बेचने वाला कोई व्यक्ति

(II) कोई व्यक्ति जो किसी क्रेता या परेषिती को ऐसा बीज प्रवहित करने, परिदत्त करने या परिदत्त करने की तैयारी करने के अनुक्रम में है

(III) कोई क्रेता या परेषिती जिसे ऐसे बीज का परिदान हो चुका है ।

(ख) ऐसा नमूना उस क्षेत्र के बीज विश्लेषक को, जिसमें वह नमूना लिया गया हो, विश्लेषणार्थ भेज सकेगा ।

(ग) किसी ऐसे स्थान में, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उनमें इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो जैसी वह आवश्यक समझे, सब युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा किसी ऐसे बीज को जिसके बारे में अपराध किया गया है या किया जा रहा है, कब्जे में रखने वाले व्यक्ति को लिखित आदेश दे सकेगा कि वह तीस दिन से अनधिक की विनिर्दिष्ट कालावधि पर्यन्त ऐसे अधिसूचित बीज के किसी स्टाक का व्ययन न करें, अथवा, तब के सिवाय जब कि अभिकथित अपराध ऐसा हो कि त्रुटि बीज के कब्जाधारी द्वारा दूर की जा सकती है, ऐसे बीज के स्टाक का अभिग्रहण कर सकेगा ।

(घ) खण्ड (ग) में वर्णित किसी स्थान में पाए गये किसी अभिलेख, रजिस्टर दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा और यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकेगा तो उसका अभिग्रहण कर सकेगा ।

(ड़) अन्य ऐसी शक्तियों का, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो, प्रयोग कर सकेगा ।

(2) जहां कि किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीज का नमूना उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन लिया जाए वहां उसकी उस दर से संगणित कीमत, जिस पर ऐसा बीज प्रायः जनता को बेचा जाता है, मांगे जाने पर उस व्यक्ति को दी जाएगी जिससे वह नमूना लिया गया हो ।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत ऐसा कोई आधान, जिसमें किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म का बीज हो, तोड़ कर खोलने की शक्ति या ऐसे किसी परिसर के द्वार को, जिसमें ऐसा बीज विक्रयार्थ रखा हो, तोड कर खोलने की शक्ति आती है ।

परन्तु द्वार तोड कर खोलने का प्रयोग तभी किया जाएगा जब स्वामी या उस परिसर का अधिभोगी अन्य व्यक्ति, यदि वह उसमें उपस्थित हो तो ऐसा करने की अपेक्षा किए जाने पर भी द्वार खोलने से इन्कार करे ।

(4) जहां कि बीज निरीक्षक उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन कोई कार्यवाही करे वहां वह यावत्सम्भव दो से अन्यून व्यक्तियों को उस समय पर उपस्थित होने के लिए बुलाएगा जब ऐसी कार्यवाही की जाए और वह उनके हस्ताक्षर एक ज्ञापन पर कराएगा हो कि विहित प्ररूप में और विहित रीति से तैयार किया जाएगा ।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के उपबंध इस धारा के अधीन की किसी तलाशी या अभिग्रहण को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 98 के अधीन निकाले गए वारंट के प्राधिकार से ली गई तलाशी या किए गए अभिग्रहण को लागू होते है।

15 बीज निरीक्षकों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

(1) जब कभी किसी बीज निरीक्षक का आशय किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीज का विश्लेषणार्थ नमूना लेने का हो तब वह –

(क) उस व्यक्ति को जिससे नमूना लेने का उसका आशय हो अपने उस आशय की लिखित सूचना तुरन्त वही देगा ।

(ख) उन विशेष मामलों में सिवाय जिनका इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमें द्वारा उपबंध किया जाए, तीन प्रतिनिधि नमूने विहित रीति से लेगा और हर एक नमूने को ऐसी रीति से, जो उसकी प्रकृति के अनुसार अपनाई जा सके, चिन्हित करेगा और मुद्राबंद करेगा या बांधेगा ।

(2) जब कि किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीज के नमूने उपधारा (1) के अधीन लिए जाएं, तो बीज निरीक्षक–

(क) एक नमूना उस व्यक्ति को परिदत्त करेगा जिससे यह लिया गया हो ,

(ख) दूसरा नमूना उस क्षेत्र के बीज विश्लेषक को जिसमें वह नमूना लिया गया हो विश्लेषणार्थ विहित रीति से भेजेगा, तथा

(ग) शेष नमूने को विहित रीति से प्रतिधारित करेगा जिससे, यथास्थिति, विधिक कार्यवाही की जाने की दशा में वह पेश किया जाए या केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला द्वारा धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन उसका विश्लेषण किया जाए ।

(3) यदि वह व्यक्ति जिससे नमूने लिए गए हो उन नमूनों में से एक का प्रत्यक्षग्रहण करने से इन्कार करे तो बीज निरीक्षक ऐसे इन्कार की प्रज्ञापना बीज विश्लेषक को भेजदेगा और तब वह बीज विश्लेषक जिसे विश्लेषणार्थ नमूना प्राप्त हुआ हो, उसे दो भांगो में विभाजित करेगा और उनमें से एक भाग को मुद्राबंद करेगा या बांधेगा और, या तो नमूने की प्राप्ति पर या जब वह अपनी रिपोर्ट का परिदान करे तब उसे बीज निरीक्षक को परिदत्त कराएगा जो विधिक कार्यवाही किए जाने की दशा में पेश करने के लिये उसे प्रतिधारित करेगा ।

(4) जहां कि बीज निरीक्षक धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन कोई कार्यवाही करे, वहां–

(क) वह इस बात का अभिनिश्चय करने के लिये पूरी शीघ्रता करेगा कि वह बीज धारा 7 के उपबंधो में से किसी का उल्लधंन करता है या नहीं और यदि वह अभिनिश्चय हो जाये कि वह बीज ऐसा उल्लघन नहीं करता है तो वह, यथास्थिति,, उक्त खण्ड के अधीन पारित आदेश तुरन्त प्रतिसंहन कर लेगा या ऐसी कार्यवाही करेगा जो कि अभिगृहित बीज के स्टाक को वापस करने के लिए आवश्यक हो,

(ख) यदि वह बीज के स्टाक का अभिग्रहण करे तो वह मजिस्ट्रेट को यथाशक्य शीघ्र इतिला देगा और उस स्टाक की अभिरक्षा के बारे में उसके आदेश लेगा ।

(ग) किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि अभिकथित अपराध ऐसा हो कि त्रुटि बीज का कब्जा रखने वाले द्वारा दूर की जा सके तो वह, अपना इस बात का समाधान हो जाने पर कि त्रुटि इस प्रकार दूर कर दी गई है, उक्त खण्ड के अधीन पारित आदेश तुरन्त प्रतिसंहन कर लेगा ।

(5) जहां कि बीज निरीक्षक धारा 14 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन कोई अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ अभिग्रहित करे वहां वह मजिस्ट्रेट को यथाशक्य शीघ्र इतिला देगा और उसकी अभिरक्षा के बारे में उसके आदेश लेगा ।

16 बीज विश्लेषक की रिपोर्ट

1. धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन नमूने की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र बीज विश्लेषण नमूने का विश्लेषण राज्य बीज प्रयोगशाला में करेगा और वह विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट की एक प्रति बीज निरीक्षक का और उसकी दूसरी प्रति उस व्यक्ति को, जिससे नमूना लिया गया हो, ऐसे प्रारूप में, जो विहित किया जाए, परिदत्त करेगा।
2. इस अधिनियम के अधीन अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् अभियुक्त विक्रेता या फरियादी विहित, फीस देकर, न्यायालय से इस बात के लिए आवेदन कर सकेगा कि धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ग) में वर्णित नमूनों में से किसी नमूने को केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला को उसकी रिपोर्ट के लिए भेजा जाये और आवेदन की प्राप्ति पर न्यायालय पहले उस बात का अभिनिश्चय करेगा कि धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) मे यथाउपबंधित चिन्ह और मुद्रा या बन्धन अविकल है और तब वह नमूने को अपनी मुद्रा से, अंकित करके केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला को भेज सकेगा, जो नमूने की प्राप्ति की तारीख से एक मास के

विश्लेषण का परिणाम विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्ररूप में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को भेजेगी ।

3. केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला द्वारा उपधारा (2) के अधीन भेजी गई रिपोर्ट बीज विश्लेषक द्वारा उपधारा (1) के अधीन दी गई रिपोर्ट को अतिष्ठित कर देगी ।
4. जहां कि केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला द्वारा उपधारा (2) के अधीन भेजी गई रिपोर्ट धारा 19 के अधीन की किसी कार्यवाही में पेश की जाए वहां उस कार्यवाही में यह आवश्यक न होगा कि विश्लेषणार्थ लिया गया कोई नमूना या उसका भाग पेश किया जाए ।

17 अधिसूचित किस्मों या उपकिस्मों के बीजों के निर्यात और आयात पर निर्बन्धन

कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति द्वारा (जिसमें वह स्वयं आता है) बोए जाने या रोपण के प्रयोजनार्थ, किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीज का आयात या निर्यात तब के सिवाय न तो करेगा और न करवाएगा, जब कि–

(क) वह उस बीज के लिए धारा 6 के खण्ड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट अंकुरण और शुद्वता की न्यूनतम सीमाओं के अनुरूप हो, तथा

(ख) उस बीज के लिये धारा 6 के खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट उसकी ठीक विशिष्टियों से युक्त चिन्ह या लेबल विहित रीति से उसके अधान पर लगा हों

18 विदेशों के बीज प्रमाणन अभिकरणों को मान्यता

समिति की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार किसी विदेश में स्थापित किसी बीज प्रमाणन अभिकरण की शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इन अधिनियम के प्रयोजनार्थ मान्यता दे सकेगा ।

19 शास्ति

यदि कोई व्यक्ति –

(क) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंखन करेगा, अथवा

(ख) बीज निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन नमूना लेने से निवारित करेगा, अथवा

(ग) बीज निरीक्षक को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करने से निवारित करेगा, तो वह दोषसिद्व किए जाने पर निम्नलिखित प्रकार से दण्डनीय होगा:–

(1) प्रथम अपराध के लिए, जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा तथा

(2) उस दशा में जब कि ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध का पहले ही दोषसिद्व किया जा चुका हो, कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से ।

20 सम्पत्ति का समपहरण

जब कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम, या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में से किसी के उल्लंघन के लिए इस अधिनियम के अधीन दोषसिद्व किया गया हो, तो वह बीज जिसके बारे में उल्लंघन किया गया हो, सरकार को समपहृत किया जा सकेगा।

21 कम्पनियों द्वारा अपराध

1. जहां कि इस अधिनियम के अधीन अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है वहां हर व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उस कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, और वह कम्पनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएगें और तद्नुसार अपने विरूद्व कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने के दायित्व के अधीन होंगें, परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी दण्ड के दायित्व के अधीन न करेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और ऐसे अपराध का किया जाना निवारित करने के लिए उसने सभी सम्य्क तत्परता बरती थी ।
2. उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, जहां कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि यह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य आफिसर की सम्पति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी ओर से हुई किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य आफिसर उस अपराध का दोषी समझा जाएगा, और तद्नुसार अपने विरूद्व कार्यावाही की जाने और दंडित किए जाने के दायित्व के अधीन होगा ।

   स्पष्टीकरण – इन धारा के प्रयोजनों के लियेः–

   (क) ''कम्पनी'' से कोई नियमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम आता है, तथा

   (ख) फर्म के संबंध में ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

22 सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए परित्राण

कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या सरकार के किसी ऑफिसर के विरूद्ध न होगी ।

23 **निदेश देने की शक्ति**

केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार को ऐसे निर्देश दे सकेगी जो केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों को उस राज्य में निष्पादित करने के लिये आवश्यक प्रतीत हो ।

24 **छूट**

इस अधिनियम में कोई बात किसी ऐसे अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीज को लागू न होगी जो किसी व्यक्ति द्वारा उगाया गया हो, और उसके द्वारा स्वयं अपने परिसर में सीधे किसी अन्य व्यक्ति को, उस व्यक्ति द्वारा बोए जाने या रोपण के प्रयोजनार्थ उपयोग मे लाए जाने के लिए बेचा या परिदत्त किया गया हो ।

25 **नियम बनाने की शक्ति**

1. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।
2. विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगें :–

(क) समिति के कृत्य और समिति के सदस्यों, तथा धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन नियुक्त किसी उपसमिति के सदस्यों को संदेय यात्रा एवं दैनिक भत्ते,

(ख) केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला के कृत्य

(ग) प्रमाणन अभिकरण के कृत्य

(घ) किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीज के आधान की धारा 7 के खण्ड (ग) और धारा 17 के खण्ड (ख) के अधीन चिन्हित करने या उस पर लेबल लगाने की रीति

(ङ) वे अपेक्षाएं जो धारा 7 में निर्दिष्ट कारबार चलाने वाले व्यक्ति द्वारा अनुपालित की जाए

(च) धारा 9 के अधीन प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए आवेदन का प्ररूप, वे विशिष्टियां जो उसमें अन्तर्विष्ट हो, वह फीस जो उसके साथ होनी चाहिए, प्रमाणपत्र का प्रारूप, वे शर्ते जिनके अध्यधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जा सकेगा

(छ) वह प्ररूप जिसमें, वह रीति जिससे और वह फीस जिसके दिए जाने पर धारा 11 के अधीन अपील की जा सकेगी तथा अपील निपटाने में अपील अधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

(ज) बीज विश्लेषक और बीज निरीक्षकों की अर्हताएं और कर्तव्य–

(झ) यह रीति जिससे नमूने बीज निरीक्षक द्वारा लिए जा सकेंगें, ऐसे नमूने बीज विश्लेषक या केन्द्रीय बीज प्रयोगशाला को भेजने की प्रक्रिया और ऐसे नमूनों के विश्लेषण की रीति,

(ज) धारा 16 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट का प्ररूप और उक्त उपधारा (2) के अधीन ऐसी रिपोर्ट के बारे में संदेय फीस

(ट) धारा 7 में निर्दिष्ट कारबार चलाने वाले व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख और वे विशिष्टियां जो ऐसे अभिलेखों मे अन्त लेखों में अन्तर्विष्ट होंगी

(ठ) कोई अन्य बात जो विहित की जानी है या की जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात, यथाशक्यशीघ्र संसद के हर एक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के जिसमें वह ऐसे रखा गया हो या अव्यवहित पश्चात्‌वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोंनो सदन उस नियम मे कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हों जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यथास्थिति, वह नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या वातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।